

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2012/टेली/11(4)/1

नई दिल्ली, दिनांक 16/07/2013

दूरसंचार परिपत्र सं. 19/2013

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें.

विषय:- एआरटी में सैटेलाइट फोन का प्रावधान।


संदर्भ:- पूर्व मध्य रेलवे का दिनांक 18.06.2013 का पत्र सं.ईसीआर/एसएण्डटी/टेली
पॉलसी/135/1117.

ऊपर संदर्भाधीन पत्र के माध्यम से पूर्व मध्य रेलवे ने मिनी-एम-सैटेलाइट फोन उपलब्ध न होने के कारण आ रही समस्याओं का उल्लेख किया है। यह सूचित किया जाता है कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी तक बी-जीएएन/आई-सैट सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। रेलवे बोर्ड यह अनुमति प्राप्त करने के सभी प्रयास कर रहा है।

2. वे रेलें जो सैटेलाइट फोन (मिनी-एम टर्मिनलस) की अनुपलब्धता के कारण समस्या का सामना कर रहीं हैं उन्हें सीयूजी/अन्य मोबाइल नेटवर्क/एमटीआरसी द्वारा कवर किए जा रहे ऐसे खंडों से मौजूदा सैटेलाइट फोन को ऐसे खंडों में जहां अन्य साधनों के द्वारा इस प्रकार की कवरेज उपलब्ध नहीं कराई जा रही में रिलोकेट करने की सलाह दी जाती है।

3. इससे पूर्व मध्य रेलवे के ऊपर संदर्भाधीन पत्र का निपटान हो जाता है।

4. कृपया पावती दें।



(राकेश रंजन)

निदेशक/ दूरसंचार

ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

दूरभाष 011-2338850.

प्रतिलिपि प्रेषित:

- सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें।
- निदेशक/ आईआरआईएसईटी/सिकंदराबाद।
- मुख्य लेखा अधिकारी/आईआरपीएमयू/नई दिल्ली।
- कार्यपालक निदेशक/टेलीकाम/अअमसं/लखनऊ।